

अध्याय III

बन्दरगाह क्षेत्र में सेवा कर देयता

3.1 प्रस्तावना

प्रमुख बन्दरगाहों तथा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा दी गई “पत्तन सेवाओं” पर सेवा कर 16 जुलाई 2001 से लागू किया गया था और 1 जुलाई 2003 से लघु बन्दरगाहों पर लागू किया गया था। वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2010 से और 30 जून 2012 तक यथा लागू) की धारा 65(82) के अन्तर्गत यथा परिभाषित बन्दरगाह सेवा” में “किसी रीति में बन्दरगाह अथवा अन्य बन्दरगाह के अन्दर दी गई कोई सेवा” को शामिल किया गया।

बन्दरगाह सेवा क्षेत्र 2012-13 में ₹ 1670 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख राजस्व अर्जन सेवा क्षेत्रों में एक है। बन्दरगाह पर पहुंचने वाले/से चलने वाले जलयानों के संबंध में और आयात तथा निर्यात किए जा रहे माल के संबंध में बन्दरगाह सेवाएं देते हैं। सेवाओं में संचालन, खींचना, लंगर डालना, जलयानों का नौबन्ध, कार्गो का लदान तथा उत्तराई, जहाज से जहाज को कार्गो का हस्तांतरण, कार्गो का वजन करना, टिपरों पर घाट से कार्गो का परिवहन, भण्डारण प्रहस्तन, और जहाजों को जल, विद्युत की आपूर्ति जैसी सेवाएं, बंकर बनाना, जहाज चाण्डलर सेवाएं, जहाज मरम्मत सेवाएं, रेल जनित माल के लिए रेलवे कर्षण प्रभार, स्थानीय कर्षण तथा भण्डारण, जनशक्ति सेवाएं आदि शामिल होते हैं।

975 किलोमीटर की तट रेखा, जो देश में दूसरी लम्बी तटरेखा है, के साथ आंध्र प्रदेश राज्य में प्रचालन में एक प्रमुख बन्दरगाह-विशाखापत्तनम बन्दरगाह और पांच लघु बन्दरगाह यथा काकीनाडा गहरा समुन्द्र बन्दरगाह, काकीनाडा लंगरगाह बन्दरगाह, गंगावरम बन्दरगाह, कृष्णापत्तनम बन्दरगाह तथा रावा/दक्षिण यमन बन्दरगाह हैं। ओडिशा राज्य की प्रमुख बन्दरगाह के रूप में पारादीप बन्दरगाह और दो लघु बन्दरगाहों यथा धामरा बन्दरगाह तथा गोपालपुर स्वच्छ मौसम बन्दरगाह के साथ 480 किलोमीटर की तटरेखा है।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने, कि बन्दरगाह क्षेत्र से भारत सरकार को प्राप्य सेवा कर सरकार को वास्तव में पहुंच रहा है, के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा ओडिशा में मौजूद तन्त्रों की पर्याप्तता की जांच की। लेखापरीक्षा निम्न निर्धारित करने के लिए की गई थी:

- i. बन्दरगाह क्षेत्र में सेवाओं से सम्बन्धित सेवा कर के उदग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार नोटिसों आदि की पर्याप्तता;
- ii. क्या कानून के वर्तमान प्रावधानों का पर्याप्त रूप से पालन किया जा रहा है;
- iii. क्या सेवा कर के उदग्रहण के लिए सम्भावित सेवा प्रदाताओं की पहचान करने और कर जाल में लाने के लिए पर्याप्त तंत्र था, और
- iv. क्या प्रभावी मॉनीटरिंग तथा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

3.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

हमने आन्ध्र प्रदेश तथा ओडिशा में 5 कमिशनरियों, 6 बंदरगाहों (सेवा कर निर्धारितियों) तथा 12 बन्दरगाह सेवा प्रदाता यूनिटों में अभिलेखों की जांच की। कवर की गई अवधि 2010-11 से 2012-13 तक थी।

हमने निर्धारितियों के पंजीकरण से आरम्भ कर अननुपालन जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की हानि हुई, के दृष्टान्तों की पहचान करने के लिए विवरणियों की प्राप्ति के मॉनीटरिंग, विवरणियों की संवीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा आदि की “बन्दरगाह सेवाओं” पर सेवा कर के उदग्रहण के प्रशासन की प्रभावकारिता की समीक्षा की।

3.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षित यूनिटों में निर्धारिती अभिलेखों की संवीक्षा से ₹ 44.89 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले प्रणाली तथा अनुपालन सम्बन्धित मामलों का पता चला। मंत्रालय ने ₹ 38.59 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली लेखापरीक्षा

आपत्तियों को स्वीकार कर लिया (दिसम्बर 2014) और ₹ 29.70 करोड़ की वसूली कर ली। प्रमुख निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.5 प्रणाली मामले

3.5.1 विवरणियाँ दाखिल न करना/देरी से दाखिल करना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 70 प्रावधान करती है सेवा कर के भुगतान के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा दी गई सेवाओं पर देय कर स्वयं निर्धारित करेगा और निर्धारित विवरणी प्रस्तुत करेगा। विवरणी के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के लिए निर्धारिती अनधिक ₹ 20,000 की विलम्ब फीस का भुगतान करेगा। विलम्ब के दिनों की संख्या के आधार पर विवरणी के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के लिए विलम्ब फीस की दरें सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 7ग में निर्धारित हैं।

विशाखापत्तनम I, विशाखापत्तनम II, गुन्दूर तथा हैदराबाद II कमिशनरियों द्वारा भेजी गई सूचना ने दर्शाया कि गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में बन्दरगाह सेवा प्रदाताओं से देय 693 सेवा कर विवरणियों में से 605 विवरणियाँ समय पर प्राप्त हुई हैं, 44 विवरणियाँ विलम्बित रूप से प्राप्त हुई थीं और 44 विवरणियाँ किंचित प्राप्त नहीं हुई थीं। भुवनेश्वर I कमिशनरी में देय 91 सेवा कर विवरणियों में से 85 विवरणियाँ समय पर प्राप्त हुई थीं और 6 विवरणियाँ किंचित प्राप्त नहीं हुई थीं।

निर्धारितियों, जो विवरणियाँ प्रस्तुत करने में विफल हो गए, के संबंध में वित्त अधिनियम 1994 की धारा 77(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस/शास्ति लगाने की प्रकृति में किसी कार्रवाई का कोई साक्ष्य नहीं था। निर्धारितियों, जिन्होंने विलम्बित रूप से विवरणियाँ दाखिल की द्वारा भी विलम्ब फीस जमा नहीं की गई थी। ऐसे मामलों में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने विशाखापत्तनम I, II, हैदराबाद II कमिशनरियों में दाखिल न करने वालों/देरी से दाखिल करने वालों से 43 मामलों में ₹ 2.49 लाख की वसूली सूचित की और भुवनेश्वर I कमिशनरी में तीन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

3.5.2 प्राथमिक तथा विस्तृत संवीक्षा करने में विफलता

एसीईएस के अन्तर्गत विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा प्रणाली द्वारा की जाती है और कमियों वाली विवरणियों की समीक्षा तथा सुधार के लिए प्रणाली द्वारा पहचान की जाती है। समीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियां निर्धारिती के परामर्श से वैधीकृत की जानी होती हैं और प्रणाली में पुनः दर्ज की जाती हैं। इसके अलावा बोर्ड के परिपत्र दिनांक 11 मई 2009 के अनुसार एक बार एसीईएस कार्यान्वयन हो जाने पर विवरणियां जोखिम के अवरोही क्रम में स्वतः सूचीबद्ध जो जाएंगी और चयन हेतु आयुक्त को प्रस्तुत की जाएंगी।

अभिलेखों के सत्यापन पर यह देखा गया था कि आंध्र प्रदेश में गुन्दूर और हैदराबाद-॥ कमिशनरियों में 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान बन्दरगाह सेवा प्रदाताओं से प्राप्त 82 सेवा कर विवरणियों में से केवल 35 विवरणियों के संबंध में प्राथमिक संवीक्षा की गई थी।

ओडिशा में भुवनेश्वर। कमिशनरी में प्राप्त 85 सेवा कर विवरणियों में से केवल 73 मामलों में प्राथमिक संवीक्षा की गई थी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश में 57 प्रतिशत विवरणियां तथा ओडिशा में 14 प्रतिशत विवरणियों में प्राथमिक संवीक्षा नहीं की गई थी।

गुन्दूर तथा हैदराबाद ॥ कमिशनरियों में इन तीन वर्षों के दौरान बन्दरगाह क्षेत्र में सेवाओं से सम्बन्धित किसी एसटी-3 विवरणी की विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी।

भुवनेश्वर। कमिशनरी में केवल एक विवरणी के संबंध में विस्तृत संवीक्षा की गई थी। हमने यह भी पाया कि जोखिम क्रम में विवरणियों की सूची बनाने के लिए एसीईएस मॉड्यूल भी प्रचालन में नहीं थी और प्रणाली विस्तृत संवीक्षा हेतु किसी विवरणी का चयन नहीं कर रही थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी2014) तब मंत्रालय ने तथ्य स्वीकार कर लिया (दिसम्बर 2014) कि विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों की पहचान के लिए एसीईएस माइयूल कार्यात्मक नहीं था। उन्होंने आगे सूचित किया कि हैदराबाद-॥ कमिशनरी में बन्दरगाह सेवाओं के अन्तर्गत पंजीकृत सभी निर्धारिती श्रेणी क यूनिटें हैं जो वार्षिक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं इसलिए

विस्तृत संवीक्षा अपेक्षित नहीं है। भुवनेश्वर । कमिशनरी में प्रमुख सेवा प्रदाताओं की प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा की जाती है।

मंत्रालय उत्तर पैरा में उल्लिखित प्राथमिक संवीक्षा को पूरा न करने के संबंध में मौन है।

3.5.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमी

सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली पुस्तक 2011 के अनुसार ₹ तीन करोड़ (श्रेणी क यूनिट) से अधिक कर भुगतान करने वाली सेवा यूनिटों (वार्षिक) की अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अलावा ₹ एक तथा तीन करोड़ के बीच सेवा कर भुगतान करने वाली यूनिटों की दो वर्ष (श्रेणी ख) में एक बार लेखापरीक्षा की जानी है।

(i) हमने पाया कि विशाखापत्तनम ॥ कमिशनरी में मै. कईआई-आरएसओएस लिमि. की दिसम्बर 2011 के बाद लेखापरीक्षा नहीं की गई थी यद्यपि यह श्रेणी क यूनिट है।

(ii) गुन्दूर कमिशनरी में मै. कृष्णापत्तनम पोर्ट कम्पनी लिमिटेड (केपीसीएल) के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि निर्धारिती ने माल के लदान/उत्तराई में विलम्ब के लिए आयातकों को मई 2011 में क्रेडिट नोट जारी किए और दी गई बन्दरगाह सेवाओं के लिए प्रभारित राशियों के प्रति देय राशियां समयोजित कीं। इस प्रबन्ध के कारण क्रेडिट नोटों में उल्लिखित उन राशियों के बराबर राशियां और कुल ₹ 2.88 करोड़ सेवा कर को प्रभार्य सकल राशि में शामिल नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के साथ 35.20 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने ब्याज तथा शास्ति सहित ₹ 40.80 लाख की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014)।

यद्यपि केपीसीएल श्रेणी 'क' यूनिट थी परन्तु 2011-12 तथा 2012-13 में आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उसकी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। सेवाओं के करयोग्य मूल्य की गणना में त्रुटि ऐसी थी जिसे विस्तृत संवीक्षा के माध्यम से खोजा नहीं जा सकता था (क्योंकि एसटी-3 विवरणी फारमेट ब्यौरों जैसे समायोजित क्रेडिट नोट आदि को शामिल करने का प्रावधान नहीं करता है)।

सिफारिश सं.2

- हम सिफारिश करते हैं कि निर्धारिती द्वारा जारी तथा समायोजित क्रेडिट नोट के ब्यौरे संवीक्षा में मामले की खोज सरल करने के लिए एसटी-3 विवरणी शामिल किया जाए। वैकल्पिक रूप से क्रेडिट नोट के ब्यौरों का सत्यापन करने के लिए निर्देश विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2009 में सम्मिलित किए जाएं।

3.5.4 राजस्व के लम्बित बकाया

बोर्ड के परिपत्र दिनांक 1 जनवरी 2013 के अनुसार उन मामलों में जहां आयुक्त (अपील) अथवा सीईएसटीएटी के पास मूल आदेश के प्रति स्थगन आवेदन के साथ अपील दायर की जाती है वहां वसूली अपील दायर करने के 30 दिन के बाद यदि स्थगन नहीं दिया जाता है अथवा स्थगन की शर्तों, यदि कोई हो, के अनुसार स्थगन याचिका निपटान के बाद, जो भी पहले हो, सूचित की जानी है।

केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1994 की धारा 35ए की उपधारा 2क के अनुसार जहां स्थगन का आदेश अपील से सम्बन्धित किसी कार्यवाही में किया जाता है वहां अपीलीय न्यायाधिकरण को ऐसे आदेश की तारिख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के अन्दर अपील का निपटान करना था यदि ऐसी अपील एक सौ अस्सी दिनों के अन्दर नहीं निपटाई जाती है तो स्थगन आदेश उस अवधि की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा।

तथापि मै. कुमार काटन मिल्स प्रा.लिमि. बनाम सीसीई अहमदाबाद {2005 (180) ई एलटी 434 (एससी)} के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्थगन निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर कारणों से निपटान न करने के कारण एक सौ अस्सी दिनों के बाद स्वतः रद्द नहीं होता है और अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसे मामले में स्थगन को बढ़ा सकता है। मै. पीएमएल इण्डस्ट्रीज लिमि; बनाम सीसीई {2013 (4) टीएमआई 101-पी एण्ड एम उच्च न्यायालय} के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय पर भरोसा करते हुए निर्णय दिया कि विभाग इस तथ्य कि मामले

के अन्तिमीकरण में विलम्ब निर्धारिती को आरोप्य है, के साक्ष्य पर एक सौ अस्सी दिनों के बाद स्थगन के रद्दीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

हमने पाया कि 31 मार्च 2013 को विशाखापत्तनम- I, II, गुन्दूर तथा हैदराबाद II कमिशनरियों में बकाया के रूप में लम्बित ₹ 45.21 करोड़ वाले 21 मामले थे जहां स्थगन आवेदन 30 दिनों से अधिक से आयुक्त (अपील) तथा सीईएसटीएटी के पास लम्बित है। तथापि इन बकायों की वसूली प्रक्रिया अभी तक विभाग द्वारा आरम्भ नहीं किया गया है।

हमने यह भी पाया कि ₹ 159.67 करोड़ के राजस्व वाले विशाखापत्तनम- I तथा II कमिशनरियों में 22 मामलों में सीईएसटीएटी ने बकायों की वसूली स्थगित कर दी। हमने पाया कि इन सभी मामलों में 6 माह की अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी। तथापि विभाग ने उपयुक्त मामलों में स्थगन के रद्दीकरण हेतु आवेदन दायर करने के लिए इन मामलों की समीक्षा आरम्भ नहीं की थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि विशाखापत्तनम II कमिशनरी में ₹ 1.78 करोड़ वसूल कर लिया गया था और उपर्युक्त मामलों में शीघ्र सुनवाई याचिका दायर की गई है। स्थगन रद्द कराने के लिए गुन्दूर कमिशनरी में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे सूचित किया कि हैदराबाद कमिशनरी में पार्टियां अपील के अधीन हैं और सीईएसटीएटी द्वारा स्थगन दिया गया है।

सिफारिश सं. 3

- एक सौ अस्सी दिन बाद स्थगन के रद्दीकरण से सम्बन्धित मै. कुमार काटन मिल्स प्राई. लिमि. वनाम सीसीई अहमदाबाद ((180) ईएलटी 434 (एससी)) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1994 की धारा 35ग (2क) को संशोधित करने पर बोर्ड विचार करें।

3.6 अनुपालन मामले

हमने चयनित निर्धारिती बन्दरगाहों तथा अन्य बन्दरगाह सेवा प्रदाताओं से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की। सांविधिक प्रावधानों, सेनेट सम्बन्धित

मामलों, छूटों के गलत प्राप्त करने कुछ अननुपालन के मामले जो हमने अभिलेखों की जांच के दौरान देखें, नीचे उल्लिखित हैं:

3.6.1 अपफंट रेटन फीस/किराया आय की रियायती फीस पर सेवा कर का गैर/कम भुगतान

धारा 68 के अनुसार किसी व्यक्ति को कर योग्य सेवा देने वाला प्रत्येक व्यक्ति धारा 66ख (अथवा पूर्व धारा 66) में निर्धारित दर पर सेवा कर अदा करेगा।

1 जुलाई 2012 से पूर्व धारा 65 (90क) में यथा परिभाषित 'अचल सम्पत्ति किराए पर देना' में अन्य के साथ किराए पर देना, भाड़े पर देना, पट्टा करना, लाईसेंस करना अथवा इस दौरान उपयोग हेतु अचल सम्पत्ति के अन्य समान प्रबन्ध अथवा उनमें निर्धारित कुछ अपवादों के अध्यधीन कारबार अथवा वाणिज्य को प्रोत्साहन शामिल किया गया। 1 जुलाई 2012 से "अचल सम्पत्तियों को किराए पर देने" को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ड में निर्दिष्ट सूची "घोषित सेवाएं" के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

बोर्ड का परिपत्र दिनांक 27 जुलाई 2005 स्पष्ट करता है कि जब किसी सेवा के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त किया जाता है जो भुगतान की प्राप्ति के समय पर कर योग्य नहीं है परन्तु सेवा का प्रावधान करने के दौरान करयोग्य हो जाती है तब ऐसा भुगतान दो अवधियों के बीच उचित रूप से बांटा जाना होता है और केवल सेवा के करयोग्य सेवा होने पर अथवा उसके बाद दी गई सेवा के भाग सेवा कर के लिए दायी है।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(90क) के अन्तर्गत व्याख्या 2 स्पष्ट करती है कि इस खण्ड के प्रयोजन हेतु 'अचल सम्पत्ति किराए पर देना' कथित अचल सम्पत्ति का अधिकार अथवा नियंत्रण के हस्तान्तरण का ध्यान किए बिना किसी अचल सम्पत्ति के स्थान के उपयोग स्वीकार करना अथवा की अनुमति देना शामिल करता है। इसके अलावा बोर्ड ने अपने परिपत्र दिनांक 10 फरवरी 2012 में स्पष्ट किया कि बिल्ड-आपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) परियोजनाओं में सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति किराए पर देना एक सेवा है

और उसके लिए प्राप्त प्रतिफल पर सरकार अथवा उसकी एजेंसी द्वारा सेवा कर देय है।

(i) हमने पाया कि 2008-09 के दौरान मै. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने मै. एचपीसीएल से ₹ 201.98 करोड़ तथा मै. राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से ₹ 7.64 करोड़ की राशि क्रमशः 248.18 एकड़ तथा 10 एकड़ भूमि के पट्टा किराया के प्रति अपफ्रंट फीस के रूप में प्राप्त की।

ये अपफ्रंट फीसें दी जाने वाली सेवाओं के लिए सेवा प्राप्तक से प्राप्त अग्रिम की प्रकृति में थीं और कार्यकलाप के करयोग्य होने के समय से अर्थात् 1 जुलाई 2010 से सेवा कर लगाया जाना था। इसके परिणामस्वरूप इन दो लेनदेनों के संबंध में ₹ 19.24 करोड़ तथा ₹ 72.37 लाख के सेवा कर की अदायगी नहीं हुई।

इसके अलावा वीपीटी ने वाणिज्यिक उपयोग हेतु किराया/पट्टे पर बन्दरगाह क्षेत्र का कुछ भाग पट्टे पर दिया था और सम्पदा किराया आय प्राप्त की थीं। हमने पाया कि यद्यपि ऐसी राशियों की प्राप्ति पर वीपीटी सेवा कर भुगतान कर रहा था परन्तु कुछ उदाहरणों में यह ₹ दो करोड़ की सेवा कर देयता निभाने में विफल हो गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ दो करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2014) और 26.27 करोड़ वसूल कर लिए।

(ii) आंध्र प्रदेश सरकार तथा कृष्णापत्तनम पोर्ट कम्पनी लिमिटेड (केपीसीएल) नेल्लोर ने बिल्ड, आपरेट तथा हस्तान्तरण (बीओटी) आधार पर कृष्णापत्तनम बन्दरगाह के विकास के लिए 2004 में पीपीपी अनुबंध किया आंध्र प्रदेश बन्दरगाह सीमा के अन्दर निर्दिष्ट भूमि तथा वाटर फ्रंट की थी। अनुबंध के अनुसार केपीसीएल को 6.5 की वृद्धि के साथ आंध्र प्रदेश सरकार को भूमि के उचित बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर परिकल्पित वार्षिक पट्टा प्रभारों का भुगतान करना था। जलमग्न भूमि तथ जल क्षेत्र के संबंध में केपीसीएल को पट्टा अवधि के दौरान प्रति 1000 एकड़ ₹ 1 प्रतिवर्ष की दर पर पट्टा प्रभारों का भुगतान करना था। इसके अतिरिक्त ग्राही(केपीसीएल) को

ऐसी भूमि का उपयोग अथवा विकास करने के अधिकार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को सकल आय की प्रतिशतता के रूप में अनुदान फीस का भुगतान करना था। अनुदान फीस की दर पहले 30 वर्षों के लिए 2.6 प्रतिशत की दर पर निर्धारित की गई थी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश सरकार यद्यपि 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान केपीसीएल से प्राप्त ₹ 3.69 लाख के पट्टा प्रभारों तथा ₹ 70.62 करोड़ की अनुदान फीस पर सेवा कर का भुगतान करने की दायी थी परन्तु ऐसा करने में विफल हो गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.77 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जो आंध्र प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी अर्थात् पोर्ट ऑफिसर, मछलीपट्टनम से वसूली योग्य है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि पोर्ट ऑफिसर, मछलीपट्टनम को ₹ 7.58 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

3.6.2 सेनवेट क्रेडिट

कर योग्य सेवाएं देने वाला सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4 के अनुसार प्रयोज्य सामग्री और पूँजीगत माल पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क और किसी इनपुट सेवा पर प्रदत्त सेवा कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। क्रेडिट का कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सेवा कर के भुगतान के प्रति उपयोग किया जा सकता है।

3.6.2.1 करयोग्य तथा कर मुक्त सेवा के लिए अलग लेखा का अनुरक्षण न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(1) विचार करता है कि सेनवेट क्रेडिट इनपुट अथवा इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर अनुमत नहीं होगा जो कर मुक्त माल के विनिर्माण में अथवा कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग की जाती है।

करयोग्य तथा कर मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अलग लेखे अनुरक्षित करने में विफल सेवा प्रदाता के मामले में नियम 6(3) के अनुसार निर्धारिती उसको यथा लागू निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का पालन करेगा, नामत:-

- (i) माल का विनिर्माता कर मुक्त माल अथवा करमुक्त सेवाओं के मूल्य के छ: प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा, अथवा

- (ii) माल का विनिर्माता अथवा आठटपुट सेवा का प्रदाता कर मुक्त माल के विनिर्माण में अथवा के संबंध में अथवा कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री अथवा इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

गुन्दूर कमिशनरी में मै. केपीसीएल के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि यद्यपि निर्धारिती ने 2012-13 में करयोग्य तथा कर मुक्त दोनों सेवाएं प्रदान की थीं परन्तु उसने अलग लेखे नहीं बनाए थे। निर्धारिती ने 2012-13 के दौरान ₹ 47.84 करोड़ की कर मुक्त सेवाएं दी थीं परन्तु ना तो कर मुक्त सेवाओं के मूल्य के 6 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2.87 करोड़ का भुगतान अथवा उपलब्ध अन्य विकल्प का पालन किया था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि कारण बताओ नोटिस प्रक्रियाधीन हैं।

3.6.2.2 पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

- (i) पूँजीगत माल के संबंध में पूँजीगत माल के मूल्य के उस भाग के संबंध में स्वीकार्य नहीं है जो ऐसे पूँजीगत माल पर शुल्क की राशि का घोतक है, जिसे आठटपुट सेवा का विनिर्माता अथवा प्रदाता सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4(4) के तहत मूल्यांकन (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत) के रूप में दावा करता है। नियम 14 के अनुसार जहां सेनवेट क्रेडिट गलत प्रकार लिया/उपयोग किया गया है वहां यह ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा।

गुन्दूर कमिशनरी में मै. जैम इंजी. एण्ड लॉजिस्टिक्स प्रा.लिमि. ने पूँजीगत माल अर्थात् कैटरपिलर्स का 2010-11 के दौरान आयात किया था और प्रतिकारी शुल्क सहित मूल्य पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यांकन का लाभ लिया। तथापि 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान ₹ 93.05 लाख का गलत सेनवेट क्रेडिट लिया गया था और आगे सेवा कर के भुगतान हेतु उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूँजीगत माल पर ₹ 40.98 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.34 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ

लिया गया। इसके अलावा यद्यपि इस अवधि के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी परन्तु यह चूक खोजी नहीं गई थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि कारण नोटिस प्रक्रियाधीन है।

सिफारिश सं. 4

➤ चूंकि सीवीडी की देखरेख सीबीईसी द्वारा की जाती है अतः सिफारिश की जाती है कि सीबीडी को केवल सेनेट क्रेडिट के रूप में अनुमति किया जाए और ऐसे घटांतों को होने से रोकने के लिए मूल्यहास केवल पूंजीगत माल (सीबीडी को छोड़कर) के निवल मूल्य पर अनुमति किया जाए।

(ii) “पूंजीगत माल” अभिव्यक्ति को सेनेट नियमावली 2004 के नियम 2(क) में परिभाषित किया गया है। बोर्ड के परिपत्र दिनांक 08 जुलाई 2010 के अनुसार पूंजीगत माल की मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री के क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है और ‘नींव’ डालने और ‘अवलम्ब ढांचे’ बनाने के लिए प्रयुक्त सीमेंट तथा इस्पात मदों जैसी वस्तुओं को या तो पूंजीगत माल के लिए प्रयोज्य सामग्री के रूप में अथवा अन्तिम उत्पादों के संबंध में प्रयोज्य सामग्री के रूप में माना नहीं जा सकता है और इसलिए उन पर प्रदत्त शुल्क का कोई क्रेडिट सेनेट क्रेडिट नियमावली 2004 के अन्तर्गत अनुमति नहीं किया जा सकता है।

विक्रम सीमेंट वनाम सीसीई इन्डौर {2005(187) ईएलटी 145 (एससी)} के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय दिया गया है कि पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा सम्मिलित नहीं है और केवल परिभाषा के अन्तर्गत शामिल तथा विनिर्माता की फैक्टरी में प्रयुक्त मदें पूंजीगत वस्तुओं के रूप में मानी जा सकती है।

मै. वीपीटी के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि उनको पूंजीगत वस्तुएं मानकर वस्तुओं यथा रेल, रेल स्लीपर, फिशफ्लेट, एमएस वोल्ट, प्लेट्स, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आदि पर सेनेट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 38.16 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

जब हमने इसका उल्केख किया (फरवरी 2014) तक मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि ₹ 17.27 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और राशि के लिए रक्षात्मक एससीएन तैयारी के अधीन है।

3.6.3 अपात्र सेवाओं पर अनियमित सेनवेट क्रेडिट लिया जाना

सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियमावली 2011 जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुए नियम 2(v) के अनुसार 'इनपुट सेवा' आउटपुट सेवा देने के लिए करयोग्य सेवा के प्रदाता द्वारा प्रयुक्त सेवाओं के रूप में परिभाषित की जाती है और उनको बाहर रखती है जो आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य सेवाओं, कास्मेटिक तथा प्लास्टिक सर्जरी, किसी क्लब की सदस्यता, स्वास्थ्य तथा स्वस्थता केन्द्र, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और छुट्टी पर कर्मचारियों को दिए गए यात्रा लाभ जैसे छुट्टी अथवा गृह यात्रा रियायत जब ऐसी सेवाएं व्यक्तिगत उपयोग अथवा किसी कर्मचारी की खपत के लिए प्राथमिक रूप से उपयोग की जाती हैं।

इसके अलावा "इनपुट सेवाएं" भी सामान्य बीमा, प्राधिकृत सेवा केन्द्र सेवाएं, अमूर्त वस्तुओं की आपूर्ति, जहां तक वे मोटर वाहन के सम्बन्धित हैं जब करयोग्य सेवाओं, जिनके लिए पूंजीगत माल के रूप में मोटर वाहन पर क्रेडिट उपलब्ध है को छोड़कर, को बाहर रखती हैं। सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 में सेवाओं की सूची अनुबद्ध की गई है जिनके लिए मोटर वाहन पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है। बन्दरगाह सेवाएं उस विशिष्ट सूची में सम्मिलित नहीं होती हैं। बोर्ड का परिपत्र दिनांक 29 अप्रैल 2011 विशेष रूप से "रेट-ए-कैब" सेवा कर सेनवेट क्रेडिट अस्वीकृत करता है।

हमने सात मामलों में अपात्र सेवाओं पर 1.69 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का गलत लिया जाना देखा उनमें से एक मामला उदाहरणस्वरूप नीचे दिया गया है:-

गुन्टूर कमिशनरी में मै. केपीसीएल ने उपर्युक्त नियमों के अनुसार 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मोटर वाहन, प्राधिकृत सेवा केन्द्र सेवाओं सामान्य बीमा सेवाओं, अमूर्त वस्तुओं की आपूर्ति, रेंट ए कैब, कम अवधि के लिए आवास, हेलीकॉप्टर किराया प्रभार आदि के संबंध में सेवाओं पर सेनेट पर सेनेट क्रेडिट प्राप्त किया था, ये सेवाएं सेनेट क्रेडिट प्रयोजनों हेतु अस्वीकार्य हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ के सेनेट क्रेडिट का अनियमित लेना हुआ। यद्यपि केपीसीएल श्रेणी 'क' यूनिट है, परन्तु इसकी 2011-12 तथा 2012-13 में आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तक मंत्रालय के सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती द्वारा भेजी गई सूचना के सत्यापन के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

3.6.4 कारबार सहायक सेवाओं के आयात पर सेवा कर का कम भुगतान

सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) नियमावली 2006 का नियम 7 विचार करता है कि धारा 66के के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगा जो दी गई अथवा दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभारित वास्तविक प्रतिफल के बराबर है।

गुन्टूर कमिशनरी में मै. केपीसीएल के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि कारबार प्रोत्साहन, पूँजीगत व्यय, अन्य खर्चों, व्यावसायिक प्रभारों तथा यात्रा खर्चों की सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं को विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान पर सेवा कर अदा किया गया था। तथापि सेवा कर लागू दरों पर सेवाओं के सकल मूल्य पर संगणित करने के स्थान पर सेवा कर को मिलाकर के रूप में प्रदत्त राशि मानकर संगणित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 10.94 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने ब्याज तथा शास्ति सहित ₹ 11.88 लाख का भुगतान कर दिया था।

3.6.5 प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68(2) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी कर योग्य सेवा के संबंध में उन पर सेवा कर ऐसी रीति में ऐसे व्यक्ति द्वारा अदा किया जाएगा जैसा निर्धारित किया जाए और ऐसे व्यक्ति को सभी प्रावधान लागू होंगे मानों वह सेवा कर भुगतान करने का दायी व्यक्ति है। केन्द्र सरकार ने नया आंशिक प्रतिलोम प्रभार तन्त्र अधिसूचित किया था जिसके अन्तर्गत कुछ सेवाओं के संबंध में सेवा कर अदा करने की देयता और निर्धारित प्रतिशतताओं के अनुसार 1 जुलाई 2012 से अधिसूचना संख्या 30/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 के तहत सेवा प्राप्त कर्ता की होती है।

हमने निम्नलिखित मामलों में प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत सेवा कर की गैर अदायगी देखी:

3.6.5.1 कार्य ठेका पर

बोर्ड ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 में बन्दरगाह से सम्बन्धित मूल कार्यों के निर्माण, उत्थापन, प्रतिष्ठापन अथवा संस्थापन के रूप में सेवाओं को कर मुक्त किया। सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली 2006 के नियम 2(क) में यथा परिभाषित “मूल्य कार्य” का अर्थ है:

- (i) सभी नए निर्माण;
- (ii) भूमि पर परित्यक्त अथवा क्षतिग्रस्त संरचनाओं के सभी प्रकार के परिवर्धन तथा परिवर्तन जो उन्हे कार्ययोग्य बनाने के लिए अपेक्षित हैं;
- (iii) संयंत्र, मशीनरी अथवा उपकरण अथवा संरचनाओं का उत्थापन, प्रतिष्ठापन अथवा उत्थापन चाहे पूर्व निर्मित अथवा अन्यथा;

इसलिए बन्दरगाह से सम्बन्धित मूल कार्यों को छोड़कर कार्य ठेकों से सम्बन्धित सभी निर्माण 1 जुलाई 2012 से कर योग्य होगा।

विशाखापत्तनम-। कमिशनरी में मै. वीपीटी तथा मै. विशाखा कन्टेनर टर्मीनल प्रा. लि. ने मूल कार्यों को छोड़कर निर्माण कार्यों के लिए 1 जुलाई 2012 के बाद सेवाएं प्राप्त की थीं। तथापि प्रतिलोम प्रभार के अन्तर्गत ₹ 52.18 लाख का सेवा कर उनके द्वारा अदा नहीं किया गया था।

इसके अलावा हमने पाया कि यद्यपि इस अवधि के लिए मै. विशाखा कन्टेनर टर्मीनल प्रा. लि. के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी परन्तु इस पहलू का उल्लेख नहीं किया गया था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2014) और मै. विशाखा कन्टेनर टर्मीनल प्रा. लि. से ₹ 0.61 लाख की वसूली सूचित की और आगे सूचित किया कि अभिलेखों की जांच के बाद मै. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाएगा।

3.6.5.2 सरकार से प्राप्त सहायता सेवाओं पर

एक संगठन द्वारा दूसरे को प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी देने का कार्यकलाप अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 द्वारा 1 जुलाई 2012 से सहायता सेवाओं की परिभाषा के अन्तर्गत आएगा।

विशाखापत्तनम-। कमिशनरी में मै. वीपीटी तथा भुवनेश्वर-। कमिशनरी में परादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि कुछ अधिकारी/स्टाफ ने केन्द्र/राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवा की थी। जुलाई 2012 से अगस्त 2013 के बीच दोनों निर्धारितियों द्वारा प्राप्त ऐसी सेवाओं का मूल्य ₹ 1.13 करोड़ बनता था। तथापि प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत ऐसी सेवा पर सेवा कर देयता उनके द्वारा निभाई नहीं गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.01 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

3.6.5.3 मोटर वाहन के किराए पर

अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत सेवा कर किसी व्यक्ति जो सदृश कारबार में नहीं लगा है, को यात्री ढोने के लिए नामित मोटर वाहन के किराए के रूप में सेवाएं देने अथवा दिए जाने को सहमत सेवाओं के संबंध में सेवा पाने वाले द्वारा अदा किया जाना है। अधिसूचना सं.26/2012 मोटर वाहन के किराए पर 60 प्रतिशत के उपशमन

का प्रावधान करती है। प्रावधान न किया गया सेनेट क्रेडिट इनपुट, इनपुट सेवाओं तथा पूँजीगत वस्तुओं पर लिया जाता है। क्या उपशमन का दावा किया गया अथवा नहीं, का ध्यान दिए बिना सेवा प्राप्त कर्ता सेवा प्रदाता को प्रदत्त मूल्य के 40 प्रतिशत पर सेवा कर वहन करने का दायी होगा।

विशाखापत्तनम-। कमिशनरी में मै. वीपीटी तथा मै. बोथरा शिपिंग सर्विसेज लि. और विशाखापत्तनम-॥ कमिशनरी में मै. काकीनाडा मैरीन एण्ड आफशोर काम्पलेक्स ने जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक की बीच की अवधि के दौरान अलग-अलग प्राइवेट आपरेटरों से ₹ 2.22 करोड़ की राशि का “मोटर वाहन सेवा का किराया” प्राप्त किया था। तथापि उनके द्वारा ₹ 10.96 लाख का सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और एक मामले में ₹ 0.50 लाख की वसूली सूचित की और सूचित किया कि अन्य मामले में कारण बताओं नोटिस तैयारी के अधीन है (दिसम्बर 2014)।

3.6.6 ब्याज देयता की प्रति

वित्त अधिनिमय 1994 की धारा 75 के अनुसार सेवा कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति जो इसे निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के खाते को क्रेडिट करने में विफल रहता है, अवधि जिस तक ऐसे क्रेडिट करना विलम्बित है, के लिए साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

कराधान का बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 3(क) के अनुसार कराधान का बिन्दु वह समय होगा जब दी गई अथवा दी जाने वाली सेवा का बीजक जारी किया जाता है बशर्ते जहां कि सेवा के प्रावधान की समाप्ति के चौदह दिन के अन्दर बीजक जारी नहीं किया जाता है वहां कराधान का बिन्दु ऐसी समाप्ति की तारीख होगी।

विशाखापत्तनम-। कमिशनरी में मै. साउथ इण्डिया कार्पोरेशन लि. (एसआईसीएल) के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि कुछ मामलों में निर्धारिती ने सेवा के प्रावधान की समाप्ति के 30 दिनों के अन्दर बीजक जारी नहीं किए थे। ऐसे बीजकों पर सेवा कर देयता कराधान के बिन्दु के रूप में

बीजक जारी करने को लेकर पूरी की गई थी जो कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के अनुसार चलने पर सही नहीं थी। इसलिए ₹ 12.33 लाख का ब्याज वसूली योग्य था।

हमने विशाखापत्तनम्-। तथा गुन्दर कमिशनरियों में तीन अन्य मामलों में भी पाया कि निर्धारितियों ने न तो अपनी ब्याज देयता पूरी की और न ही विभाग ने ब्याज वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.91 लाख का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और तीन मामलों में ₹ 20.11 लाख की वसूली सूचित की और एक मामले में कारण बताओं नोटिस तैयारी के अधीन है।

3.7 अन्य मामले

ऊपर चर्चा किए गए उदाहरणों के अलावा सेवा कर अदा न करने, छूट का अनियमित लाभ लेना, सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना/उपयोग, ₹ 58.67 लाख के ब्याज का भुगतान न करने की अन्तर्गत्ता के 39 मामले भी देखे गए थे। मंत्रालय ने 33 मामलों में आपत्तियां स्वीकार कर ली और ₹ 53.91 लाख की वसूली सूचित की।

3.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का मत है कि संवीक्षा तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा आदि के माध्यम से अनुपालन सत्यापन ऐसे क्षेत्रों में सीबीईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों का निष्पादन को सरकार को न पहुँच रहे राजस्व का जोखिम निम्नतम करने के उद्देश्य से सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।